संख्या-9/2017-568/58-2017-333/2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 31 मार्च 2017**

विषय :- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित जनपदों में प्याज उत्पादन को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु अवमुक्त धनराशि रू0-15192 हजार को व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1197/बजट-आर0के0वी0वाई/2016-17, दिनांक 28.03.2017 एवं कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-271/12-3-2017/100(1)/2016, दिनांक 28.03.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित जनपदों में प्याज उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु शासनादेश दिनांक 28.03.2017 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-15192 हजार (रूपये-एक करोड़ इक्यावन लाख बानबे हजार) मात्र व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

परियोजना का नाम	**लेखाशीर्षक/मद का नाम**	**अवमुक्त धनराशि**	**वांछित प्रशासकीय स्वीकृति**
1	**2**	**3**	**4**
प्याज उत्पादन को प्रोत्साहन	अनुदान सं0-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 800-अन्य व्यय- 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें 27-सब्सिडी	15192	15192
	योग-	**15192**	**15192**

(रूपये-एक करोड़ इक्यावन लाख बानवे हजार मात्र)

(1) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर जी जायेगी।

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थी को दिये जा रहे लाभ में द्विरावृत्ति नहीं होगी अर्थात राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम Net पर रहेंगे।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत् व्यय को स्वीकृति धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(7) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथासमय समर्पित की जायेगी।

(8) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण 31.03.2017 तक उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3 उ0प्र0शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

<u>संख्या: 9/2017-568(1)/58-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) सम्बन्धित कोषाधिकारी लखनऊ।
(3) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0 कृषि निदेशालय कृषि भवन लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(6) कृषि अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुवाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in